463

संख्या : 63 /XLI-1/2014 –04(प्रशि0)/2013

प्रेषक,

आर00के0 सुधांशु
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण, विभाग,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग देहरादून : दिनांक 29 जनवरी, 2015

विषयः वित्तीय वर्ष 2013–14 में आयोजनागत पक्ष के अनुदान संख्या–30 व 31 के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति उपयोगान्तर्गत अबचनबद्ध मदों के अन्तर्गत पी0एल0ए0 में रखी गयी धनराशि के आहरण/व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–9608/डीटीईयू/साज–सज्जा/पी0एल0ए0/2014, दिनांक 26.11.2014 तथा वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–318/ XXVII(1)/2014, दिनांक 18 मार्च, 2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013–14 में शासनादेश संख्याः 103/XLI-1/2014–04(प्रशि0)/ 2013, दिनाक 28 मार्च, 2014 द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति उपयोजनान्तर्गत अनुदान संख्या–30 व 31 के अन्तर्गत विभिन्न राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए उपकरण एवं संयंत्र क्रय हेतु जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, नैनीताल के पी0एल0ए0 में रखी गयी कुल रू0 90.00लाख (रूपया नब्बे लाख मात्र) की धनराशि का आहरण/व्यय किये जाने की स्वीकृति संलग्न विवरणानुसार श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः–

(1) यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि धनराशि का व्यय उन्हीं मदों हेतु किया जा सकता है, जिस हेतु धनराशि प्राप्त हुई है।

(2) प्रश्नगत धनराशि का व्यय करते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 में निहित प्राविधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर तत्सम्बन्धी निर्गत दिशा–निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) शासनादश संख्या–318/XXVII(1)/2014 दिनांक 18 मार्च, 2014 में निर्गत दिशा–निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) शासनादश संख्या–103/XLI-1/2014–04(प्रशि0)/2013, दिनांक 28 मार्च 2014 में उल्लिखित शेष शर्तें एवं प्रतिबंध यथावत रहेंगे।

2. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 95 (P)/XXVII(5)/2014, दिनांक 08.01.2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(आर0के0 सुधांशु)
सचिव।

संख्या एंव दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार, ऑडिट, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. जिलाधिकारी, नैनीताल/मुख्य विकास अधिकारी, नैनीताल।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी पौड़ी/हल्द्वानी–नैनीताल।
7. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. बजट राजकोषीय प्रकोष्ठ, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. एस0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अनूप कुमार मिश्रा)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या: 63 /XLI-1/14- 04(प्रशि0)/2013 दिनांक 29 जनवरी, 2015 का संलग्नक

अनुदान संख्या–30

2230–श्रम तथा रोजगार–03–प्रशिक्षण–003–दस्तकार एवं पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण–02–अनुसूचित जातियों का कल्याण–0201–रूद्रप्रयाग, टनकपुर, दिनेशपुर एवं काण्डा आदि रा0आई0टी0आई0 में नये व्यवसायों का खोला जाना।

आयोजनागत

(धनराशि रूपये हजार में)

मानक मद संख्या एवं मद का नाम	धनराशि
26–मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	3000
अनुदान संख्या–30 का योग	3000

अनुदान संख्या–31

2230–श्रम तथा रोजगार–03–प्रशिक्षण–796–ट्राइबल सब प्लान 03–दस्तकार प्रशिक्षण योजना–0301–मुन्स्यारी, धारचूला, तपोवन एवं कालसी आदि रा0आई0टी0आई0 में नये व्यवसायों का खोला जाना।

आयोजनागत

(धनराशि रूपये हजार में)

मानक मद संख्या एवं मद का नाम	धनराशि
26– मशीनें और सज्जा/उपकरण व संयंत्र	6000
अनुदान संख्या–31 का योग	6000
कुल योग अनुदान संख्या–30 व 31	9000

(रूपया नब्बे लाख मात्र)

(अनूप कुमार मिश्रा)
अनुसचिव।